18/6/21 कोरोना महामारी के प्रकोप को मध्य नजर रखते हुये एकजाई तारीख पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/8/21 को पेश हो।

10/8/21

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। वादीगण व प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा एवं आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक एवं विभाजन प्रस्ताव शामिल मिसल किया गया। पक्षकारान उभय पक्षों एवं वकुलाय उभय पक्षों का सुना गया एवं पत्रावली व प्रस्तुत राजीनामा, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम सिरोही के भूमि ख0न0 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1295, 1296, 1297, 1298, 1302 किता 11 रकबा 4.99 हेक्ट. एवं ख0न0 1299, 1300, 1301, 1303, 1304 किता 5 रकबा 2.20 हेक्ट. के पक्षकारान रिकार्डेड खातेदार है। पक्षकारान ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा एवं आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव पेश कर विभाजन प्रस्ताव व नक्शे अनुसार बटवारा किया जाकर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज किये जाने का अनुरोध किया है। अतः पक्षकारान की आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव व नक्शे अनुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी बरूये राजीनामा व आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा अनुसार डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को सहमति विभाजन प्रस्ताव परिशिष्ट–1, नक्शा परिस्प्टि–2 अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव परिशिष्ट–1, नक्शा परिस्प्टि–2 डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी ... (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
व इजलास **बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)** : **उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना**

झाबर मल वगै0 **बनाम** मालीराम वगै0

–वादीगण– –प्रतिवादीगण–

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 349 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री सुरजभान पुनिया एडवोकेट– वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री उमेश खण्डेलवाल एडवोकट प्रतिवादीगण एवं श्री रामगोपाल शर्मा एडवोकेट तरतीबी प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **दावा वादी बरूये राजीनामा व आपसी सहमति विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा अनुसार डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को सहमति विभाजन प्रस्ताव परिशिष्ट–1, नक्शा परिशिष्ट–2 अनुसार पृथक पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव परिशिष्ट–1, नक्शा परिशिष्ट–2 डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

निज................×........................मुबलिग....................×.........................बाबत.................×......................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......................×.......................................फीसदी सलाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......................×..............................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।